

also. I would like to know from the Minister, how many acres of distributable land are affected by the injunction. Will he kindly state this?

MR. SPEAKER: No, he requires a separate notice.

RAO BIRENDRA SINGH: I require a separate notice for that.

श्री प्रटल बिहारो वाजपेयो : कई राज्यों में जो भूमि-सुधार कानून बने हैं उन में भूतपूर्व सैनिकों की विशेष स्थिति का खयाल नहीं रखा गया जिस का नतीजा यह हो रहा है कि भूतपूर्व सैनिकों को जमीन भी भूमि सुधार कानून के अन्तर्गत वापस ली जा रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या केन्द्र सरकार ने प्रदेशों को इस सम्बन्ध में कोई दिशा निर्देश भेजे हैं? यदि भेजे हैं तो एक-सर्विसमेन के बारे में केन्द्र सरकार का क्या मत है?

राव बोरेंद्र सिंह : एग्जम्पशन देने के सम्बन्ध में हम ने तो ब्राड पालिसी ले डायन की है। भूमि सुधार कानून स्टेट्स के अपने अलग अलग हैं। उन के अन्दर किस स्टेट ने उनको एग्जम्पशन दी है किस ने नहीं दी है, इस का ब्योरा इस वक़्त मेरे पास नहीं है। लेकिन अगर स्टेट्स अपने कानून में एक-सर्विसमेन को या मिलिट्री या डूतरे पैरा मिलिट्री आर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को एग्जम्प्ट करना चाहें तो हमें प्रोपोजल भेजें, उस पर हम हमदर्वी से विचार करेंगे।

श्री बालेश्वर राम : अभी हमारे साथी बता रहे हैं कि रक्षा मंत्रालय से भूतपूर्व सैनिकों के लिए इस तरह की रिक्वेस्ट भेजी है।

नर्मदा योजना संबंधी पैनल

* 314. श्री नरसिंह मकवाना : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) नर्मदा योजना का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से गठित की गई विशेषज्ञ समीक्षा समिति के सदस्य कौन-कौन हैं ;

(ख) इस पैनल के निर्देश पद क्या हैं और नियंत्रक प्राधिकारी का नाम क्या है ; और

(ग) इस पैनल का मुख्यालय कहां पर स्थित है और क्या इसने इस बीच अपना कार्य शुरू कर दिया है ?

कृषि तथा ग्रामोण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राय बोरेंद्र सिंह) : (क) अगस्त, 1981 में गुजरात सरकार द्वारा सरदार सरोवर (नर्मदा) परियोजना के लिए गठित किए गए बांध अभिकल्प पुनरीक्षण पैनल के सदस्यों के नाम ये हैं :-

- (1) श्री वाई० के० मूर्ति
- (2) श्री आर० घोष
- (3) श्री एम० एस० बालासुन्दरम
- (4) श्री पी० एम० माने
- (5) श्री सी० वी० गौले
- (6) श्री डब्ल्यू० तेर-मिनास्त्रियन
- (7) श्री रे० डब्ल्यू० क्लफ

(ख) यह पैनल ऋण सहायता के लिए विश्व बैंक द्वारा मल्याकन के प्रोजेनार्थ, सरदार सरोवर बांध की परियोजना तैयार करने की प्रारम्भिक अवस्था में उसके अन्वेषणों, प्रयोगशाला अध्ययनों तथा अभिकल्पों के पुनरीक्षण करने के लिए गठित किया गया है। मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रचालनात्मक कुशलता तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, इसका उपयुक्त अभिकल्प और नींव अभिक्रिया (फाउंडेशन ट्रीटमेंट) इत्यादि विकसित किए जाएं। गुजरात

सरकार पैनेल को नियंत्रण प्राधिकारी है।

(ग) बांध अभिकल्प पुनरोक्षण पैनेल भिन्न-भिन्न स्रोतों और स्थानों से विशेषज्ञों को सम्मिलित कर के गठित किया गया है और वह आवश्यकता के अनुसार अरबों बैठकों आयोजित करता है। इसका कोई नियत मुख्यालय नहीं है। पैनेल ने अपना कार्य पहले ही प्रारम्भ कर दिया है और उसकी पहली बैठक 6 से 10 जुलाई, 1981 को हुई थी और दूसरी बैठक दिसम्बर, 1981 में आयोजित करने का कार्यक्रम है।

श्री नर सिंह मकवाना : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि किस सुझाव पर यह पैनेल बनाया गया और पैनेल के सदस्य का नाम किस ने तय किया है? क्या सरकार पैनेल ने सुझावों पर अमल करेगी या नहीं और क्या सरकार ऑरिजिनल डिजाइन में फेर फार कर सकेगी?

राव वीरेन्द्र सिंह : जैसा कि बताया गया है यह गुजरात सरकार ने पैनेल बनाया है। यह उन्हीं का काम है और उनका प्रोजेक्ट है। उन्होंने पैनेल बनाया है, वही विचार करेंगे और वर्ल्ड बैंक के सुझाव पर पैनेल बनाया गया है।

श्री नर सिंह मकवाना : मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार ऑरिजिनल डिजाइन में फेर-फार कर सकेगी या नहीं?

राव वीरेन्द्र सिंह : हर चीज को देखेंगे पूरा पर्यून करेगा—डिजाइन कांस्ट्र और दूसरी चीजों के बारे में। उस में दो बाहर के वर्ल्ड बैंक के आदमी शामिल हैं।

श्री नर सिंह मकवाना : अध्यक्ष महोदय दूसरा सवाल यह है कि पैनेल की जो पहली बैठक हुई है, उसके अन्दर उसने क्या फैसले किए हैं और कौन से मुद्दे की उन्होंने समीक्षा की और क्या सरकार के पास इसकी रिपोर्ट है?

राव वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय यह जो माननीय सदस्य ने अचानक पटाका छोड़ दिया है। उसकी रिपोर्ट तो मेरे पास इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं माननीय सदस्य को भिजवा दूंगा। उसकी रिक्मेंडेशन जो हमारे पास आई है, यदि वे सिफ्ट और कान्फिडेन्शियल नहीं हुई तो मैं भिजवा दूंगा।

श्री नर सिंह मकवाना : यह राष्ट्र के महत्व का प्रश्न है और सभा को पूरी जानकारी मंत्री महोदय को देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जब नहीं है, तो कैसे दे देंगे। गलत बता कर आपको क्या फायदा होगा। उन्होंने कहा है कि आपको भिजवा देंगे।

SHRI MADHAVRAO SCINDIA: In February, 1981, the Narmada Project Planning Cell of the Ministry of Irrigation, Government of India had organised a Seminar on Demand Pattern of Irrigation Requirements in 2,000AD and Beyond. In this Seminar, delegates from the World Bank also participated and it considered various things like performance criteria, design, irrigation potential, educational training, quality control standards, etc. Keeping in view the aforesaid objectives, the World Bank Delegate Mr. Tibor had suggested a concept of new style irrigation projects. One of the suggestions was that a major factor in the success of India's irrigation projects was described as a capacity to supply the water in a controlled, flexible

manner at the farm-gate. This is the outcome of the Seminar which was organised by the Narmada Project Planning Cell of the Ministry of Irrigation in which the World Bank Delegates attended.

I would like to know what is the reaction of the Review Committee of Exports constituted with the cooperation of the World Bank, to the suggestions made at this Seminar? If the Committee has agreed to any of the suggestions, then what are the steps that they are proposing to take to alter any design or implement any of the suggestions?

RAO BIRENDRA SINGH: Sir, I have stated that I do not even know what was the agenda before the Committee when it last met.

SHRI MADHAVRAO SCINDA: Then, what is the point in putting the Question in Parliament. It should have been put in Gujarat Assembly.

RAO BIRENDRA SINGH: That would have been better. I agree. It is their project. (*Interruptions*)

SHRI MADHVRAO SCINDIA: There should be an half-an-hour discussion on the Narmada Scheme.

Written Answers to Questions

Construction of Canals of Bhim Project, Sholapur

*310. SHRI BHAUSAHEB THORAT: Will the Minister of IRRIGATION be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the works of construction of Canals of Bhim Project in Sholapur District in the Maharashtra State is held up for want of funds from the World Bank;

(b) if so, what are the difficulties in getting the funds from the World Bank; and

(c) when the work on constructing the canals will be completed?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH):

(a) Presumably, Hon. Member is referring to the Bhima Project. The project is receiving financial assistance from the International Fund for Agricultural Development (IFAD) and not the World Bank and its construction work is not held up for want of funds from this source.

(b) Does not arise.

(c) State Government have informed that work would be complete in all respect by 1989-90.

Lifting Ban on Sugar Trade

*315. SHRI KAMAL NATH: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government propose to lift curbs on the sugar trade in view of the present comfortable supply position; and

(b) if so, salient features of the policy of Government in this regard?

THE MINISTER OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION AND IRRIGATION AND CIVIL SUPPLIES (RAO BIRENDRA SINGH):

(a) and (b) In order to prevent speculative hoarding of non-levy sugar and ensure a smooth flow of this sugar in the open market and its availability to the consumers at reasonable prices, the Central Government imposed the following restrictions on the Sugar trade:—

(i) Limits on stocks that recognised sugar dealers could hold;

(ii) Recognised dealers should dispose of their stocks within 10 days of receipt;

(iii) Prohibition of sale of sugar by a wholesale dealer to another wholesaler where the transaction is not accompanied by physical delivery of stocks; and

(iv) Ban on inter-State movement of sugar on trade account except under permits issued by State Governments with the prior approval of the Central Government.